न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 49/09

1. गोपीलाल आयु 68 साल आत्मज पांचू जाति मीना निवासी ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. कान्हा आयु 33 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति मीना निवासी ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. श्रीमती कन्या आयु 30 वर्ष पत्नी श्री तुलसी राम पुत्री रामनाराण जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
4. श्रीमती रामपति आयु 28 वर्ष पत्नी हरभजन जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
5. श्रीमती कान्ता आयु 23 वर्ष पत्नी श्री मनोज पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोपा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर ।
6. मोत्या बाई बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामनिवास आत्मज पॉचू जाति मीणा निवासी ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. जगन्नाथ आत्मज पॉचू जाति मीणा निवासी नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मनभर पत्नी भरत लाल पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम जयनिवास तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती शांति पत्नी ओमप्रकाश पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2009 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामनिवास ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद वास्ते बंटवारा कृषि भूमि का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी कुल किता 12 की कुल रकबा 6.58 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि

युक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/4 – 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 3 से 9 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है । पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर 1/4 हिस्सा वादी को प्रदान किया जावे यथासंभव वादी के कब्जे की भूमि वादी के कब्जे व हिस्से में रखी जावे जो भूमि वादी को बंटवारे में प्राप्त हो उस पर अकेले वादी को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकित कियाक जावे एवं उस पर अकेला कब्जा वादी को दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2009 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.04.2009 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रामनिवास का 1/4 हिस्सा मानकर वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है वास्तव में वादी रामनिवास बाल्यावस्था में ही अपने पिता के सगे भाई फून्दीलाल आत्मज गेंन्दी लाल निवासी सखावदा तहसील इन्द्रगढ के द्वारा गोद जातिगत समाज के पृथा रीति – रिवाज के अनुरूप गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था तब से ही उक्त रामनिवास फून्दीलाल के साथ ग्राम सखावदा में पुत्र के रूप में निवास करने लगा तथा फून्दी लाल की मृत्यु के बाद फून्दीलाल के खाते की आराजी को रामनिवास ने स्वयं का फून्दीलाल का दत्तक पुत्र बताते हुए अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया था तत्पश्चात् फर्दन– फर्दन बेचान किया । इस प्रकार रामनिवास का फून्दीलाल के गोद चले जाने के कारण अपने औरस पिता पांचू के सम्पत्ति में कानूनी रूप से किसी प्रकार का कोई हक नहीं रहा है तथा वाद विषयक भूमि के समान भाग के हक के रूप में पॉचू के तीन पुत्र ही जगन्नाथ, गोपी लाल व रामनारायण ही बतौर वारिस हकदार है, किन्तु विवादित भूमि के सम्बन्ध में रामनिवास का आम राजस्व कागजात में गलत रूप से सहखातेदार के रूप में अंकित होने के कारण वादी ने इस मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद–विवादकों का सही निर्धारण नहीं किया न ही विवाद्यकों के आधार पर विवेचन कर निर्णय पारित किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.04.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

ने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रामनिवास का 1/4 हिस्सा मानकर वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है वास्तव में वादी रामनिवास बाल्यावस्था में ही अपने पिता के सगे भाई फून्दीलाल आत्मज गेंन्दी लाल निवासी सखावदा तहसील इन्द्रगढ के द्वारा गोद जातिगत समाज के पृथा रीति – रिवाज के अनुरूप गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था तब से ही उक्त रामनिवास फून्दीलाल के साथ ग्राम सखावदा में पुत्र के रूप में निवास करने लगा तथा फून्दी लाल की मृत्यु के बाद फून्दीलाल के खाते की आराजी को रामनिवास ने स्वयं का फून्दीलाल का दत्तक पुत्र बताते हुए अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया था तत्पश्चात् फर्दन– फर्दन बेचान किया । इस प्रकार रामनिवास का फून्दीलाल के गोद चले जाने के कारण अपने औरस पिता पांचू के सम्पत्ति में कानूनी रूप से किसी प्रकार का कोई हक नहीं रहा है तथा वाद विषयक भूमि के समान भाग के हक के रूप में पॉचू के तीन पुत्र ही जगन्नाथ, गोपी लाल व रामनारायण ही बतौर वारिस हकदार है, किन्तु विवादित भूमि के सम्बन्ध में रामनिवास का आम राजस्व कागजात में गलत रूप से सहखातेदार के रूप में अंकित होने के कारण वादी ने इस मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने में त्रुटि की है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा